

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1547

दिनांक 15/07/2022

**प्रार्थीगण :-**

1. गोगाराम 2. वालाराम पि. कालूराम 3. खींयाराम पुत्र  
अमराराम 4. मीरो पत्नि अमराराम 5. नंदराम  
6. रूगनाथराम 7. पुरखाराम पि. वागाराम 8. दमाराम  
9. नानगाराम 10. डायाराम 11. अचलाराम पि. हेमाराम,  
जाति जाट, निवासी पदमाणी, नेहरों की नाडी,  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

**विप्रार्थीगण:-**

1. लालाराम पुत्र रूपाराम 2. भीखाराम पुत्र दूदाराम  
3. रूगाराम 4. भारूराम पि. प्रहलादराम 5. बाबूराम पुत्र  
केहराराम 6. अमराराम पुत्र भैराराम 7. करनाराम पुत्र  
जोराराम 8. जोराराम पुत्र देदाराम, जाति जाट,  
निवासी पदमाणी, नेहरों की नाडी, तहसील  
चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 60/2019

दिनांक : 15.07.2022

**आदेश**

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र  
नेहरों की नाडी के मौजा पदमाणी के खेत खसरा सं. 511 रकबा 61.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के  
नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की  
नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के  
रुबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर  
पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।


नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित  
पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश  
रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1548 to 1551

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण गोगाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण लालाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 15/07/2022



(भागीरथ राम II)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन